



HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2088/2026

Pramod Son Of Shri Prahlad, Aged About 46 Years, Resident Of Merma, Tehsil Atru, District Baran Rajasthan, Presently Resident Of House No. 405, Deepshree Housing, Vivekanand Nagar Kota, District Kota, Rajasthan.

-----Petitioner

Versus

Smt. Madhu Agrawal Wife Of Shyamsundar Gupta, Aged About 48 Years, Resident Of Babu Teli Ki Gali, In Front Of Peeli Kothi, Hospital Road, Baran, Tehsil Baran, District Baran, Rajasthan.

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Rahul Tiwari, Adv.
For Respondent(s)	:

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

20/04/2026

याची—अभियुक्त को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 01/2022 मधु अग्रवाल बनाम प्रमोद में धारा 138 एनआईएक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करार देते हुए एक माह के साधारण कारावास सहित 10,10,000/— रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश अजा/जजा (अ.नि.प्र.) बारां द्वारा दिनांक 03.02.2026 को दण्डादेश स्थगन आदेश पारित करते समय अर्थदण्ड की 20 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने की शर्त भी अधिरोपित की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि वस्तुतः इस मामले में कम्पनी का दायित्व था, अभियुक्त का व्यक्तिगत कोई दायित्व बैंक राशि के संबंध में नहीं था, आक्षेपित पारित आदेश राशि जमा कराये जाने की सीमा तक अपास्त किये जाने का निवेदन किया।



अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा धारा 138 एनआईएक्ट के अपराध में दोषी करार दिया है, अभियुक्त पक्ष की ओर से जो बचाव लिये हैं, वे अपील का विषय है, आदेशित राशि अत्यधिक व अनुचित नहीं है। सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए पारित आदेश पूर्णतः तथ्यों व विधि के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

परिणामतः प्रस्तुत याचिका खारिज की जाती है, स्थगन आवेदन भी उक्त प्रकार से अस्वीकार किया जाता है।

प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आदेशित राशि जमा कराये जाने हेतु आज से 15 दिन का अतिरिक्त समय दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J